1

भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन

6

1. सीमा विवाद से उत्पन्न चुनौतियाँ

2

भारत - बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र

कुल सीमा
4,096.7 KM

7

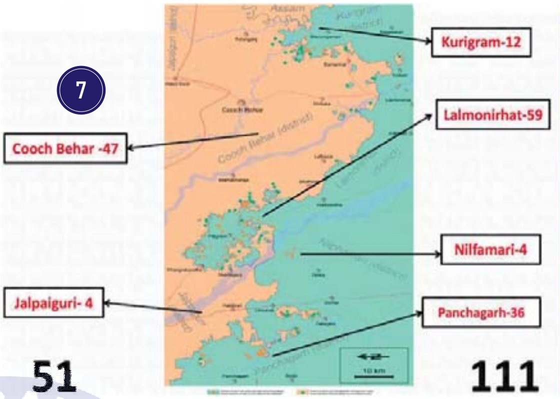

(i) भारत का बांग्लादेश में 111 तथा बांग्लादेश का भारत में 51 Enclaves की विद्यमानता [2015 में समझौता द्वारा समाधान] फलतः अवैध घुसपैठ संभव

3

सीमा का आकार एवं प्रकृति

8

(ii) 3 बीघा गलियारा की विद्यमानता - 3 बीघा गलियारा भारतीय सीमा में स्थित वह क्षेत्र है, जो भारतीय सीमा में बांग्लादेश के 2 Enclaves [दाहाग्राम व अंगरपोटा] को बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेशियों के भारत में स्थित उस Enclaves में आवागमन को सुगम बनाने हेतु इस क्षेत्र को 1992 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया एवं 20 अक्टूबर, 2011 को इसे 24 घंटे के लिए खोल दिया गया फलत : अवैध घुसपैठ की समस्या में वृद्धि हुई

4

सीमा का आकार एवं प्रकृति

4097 किमी. लंबी, छिद्रिल सीमा

9

(iii) New Moore द्वीप विवाद : बंगाल की खाड़ी में स्थित 12 वर्ग किमी. का द्वीप, जिस पर भारत एवं बांग्लादेश दोनों का दावा - जुलाई, 2014 में हेग स्थित UN के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इस विवाद का अंत - जिसमें 12 वर्ग किमी. का द्वीप व इससे लगा 5000 वर्ग किमी. का समुद्री क्षेत्र भारत को मिला एवं 20,000 वर्ग किमी. का समुद्री क्षेत्र बांग्लादेश को; यद्यपि विवाद समाप्त परंतु वृहद् समुद्री क्षेत्र बांग्लादेश के हिस्से में जाने से भारत की सुरक्षा खतरे में

5

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ

10

तीस्ता नदी जल विवाद

(iv) तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर आखिर में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है। इस तीस्ता नदी के बँटवारा पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश में आज भी विवाद कायम है।

2. तस्करी की समस्या मुख्यतः हथियार, नकली नोट, मानव एवं गौ की तस्करी

(9 Jan 2018 - BSF की Report - बांग्लादेश से प्रत्येक वर्ष 50,000 लड़कियों की भारत में तस्करी)

6. भारत में उग्रवाद एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन :

(i) HUJI, जमात-ए-इस्लामी, जमात-उल-मुजाहिदीन, अंसारुल्लाह बंगला टीम (ABT-रहमानी) आदि आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ

3. अवैध घुसपैठ की समस्या– (2016 तक– 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में)

(i) असम के कोकराझार एवं धुबरी में - बांग्लादेशियों की आबादी 65% एवं वहाँ के मूल निवासी 35%

(ii) 30 लाख बांग्लादेशी केवल असम में – हितेश्वर सैकिया

(iii) पाक एवं ISIS द्वारा इनका आतंकवाद में प्रयोग

(ii) ULFA, NSCN, NDFB आदि को हथियारों की आपूर्ति एवं शरणस्थली

7 अगस्त 2024 – भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारत में घुसने के लिये शरणार्थियों का जमावड़

7. हाल में बांग्लादेश में अतिवाद (Radicalism) / धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि – जिसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव की संभावना

4. रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ की समस्या (नवंबर 2024 तक बांग्लादेश में 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी)

11 जनवरी 2024 - शेख हसीना बनी पाँचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री

5. भारत में नृजातीय संघर्ष एवं अलगाववाद की समस्या का उद्भव [असम के बोडो क्षेत्र में एवं मणिपुर में]

5 अगस्त 2024 – बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंदुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा तीव्र

(iv) जुलाई 2020– बांग्लादेश के सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने हेतु चीन की कम्पनी के साथ समझौता

8. बांग्लादेश में चीन के प्रभाव एवं गतिविधियों में वृद्धि

(v) 20 मार्च 2023– में बांग्लादेश ने 1.2 अरब डॉलर की लागत वाले एक सबमरीन बेस का उद्घाटन किया जो चीन की मदद से बनाया जा रहा है, जिस पर भारत में चिंताएं जगीं कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) भारत के प्रभाव क्षेत्र में घुसने की कोशिश में है।

(अमेरिकी रक्षा विभाग की 2023 में आई एक रिपोर्ट ने भी यह चेतावनी दी)

(i) 24 अक्टूबर, 2016 को 'शी जिन-पिंग' की बांग्लादेश यात्रा और 24 अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा

(vi) जनवरी 2024 – चीन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली तीस्ता नदी पर एक परियोजना का प्रस्ताव और बांग्लादेश द्वारा उस पर विचार – फलतः दोनों देशों के संबंधों में तनाव की संभावना

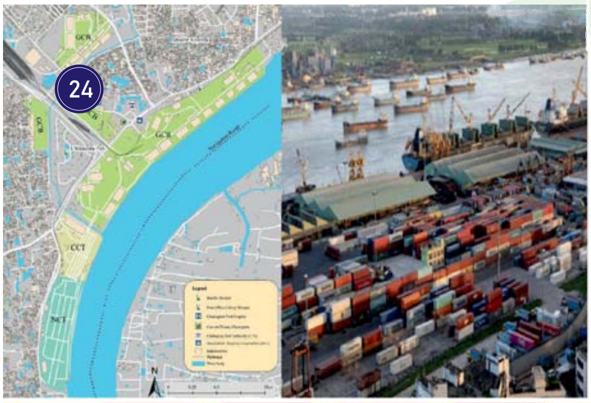

(ii) 2019– चीन द्वारा चिटगाँव पोर्ट का विकास

(iii) 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाले बांग्लादेश – चीन समझौते के तहत चीन 97 फीसदी बांग्लादेशी उत्पादों (8256 उत्पादों) पर शुल्क नहीं लगाएगा।

भारत - बांग्लादेश सीमा सुरक्षा प्रबंधन

कुल सीमा	4,096.7 KM
सीमा रखवाली बल	BSF, (80 Btn.)
चेक पोस्ट की संख्या	802+509
बाड़बंदी	3077 KM
समन्वित चेक पोस्ट	07

© KHAN SIR

31

A. भौतिक प्रबंधन

32

(i) BSF की 80 बटालियन की तैनाती

33

(ii) 1185 चौकियाँ + 7 समन्वित चेकपोस्ट

34

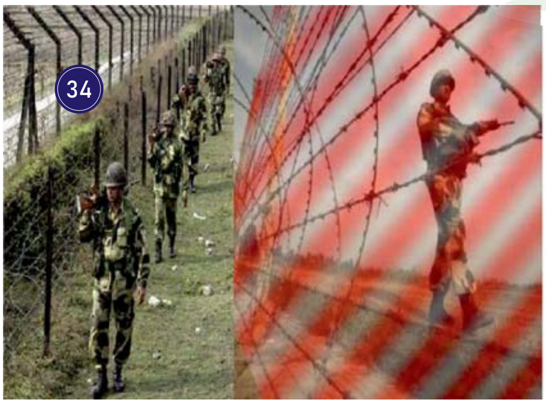

(iii) 3750 किमी. बाड़बंदी (2024 तक 4223 किमी.) एवं 48 किमी. लेजर बाड़बंदी

फ्लड लाईट 2682 किमी. सीमा पर (2024 तक 3077 किमी.)

35

(iv) 7 Floating चौकी / नौका

36

(v) 23 जनवरी, 2018 से सिलीगुड़ी के पास फूलवाड़ी में भारत- बांग्लादेश सीमा पर बाघा बॉर्डर की तरह 'ज्वाइंट रिट्रीट' प्रारंभ

37

(vi) जनवरी 2024 – भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को रोकने के लिये मधुमक्खी बॉक्स लगाने का निर्णय

38

B. कूटनीतिक प्रबंधन

39

a. बातचीत एवं समझौता

40

1. दोनों देश की सेना एवं गृह तथा विदेश सचिवों की नियमित वार्ता एवं बैठक तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास

41

2. 2011 – भारत-बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता

46

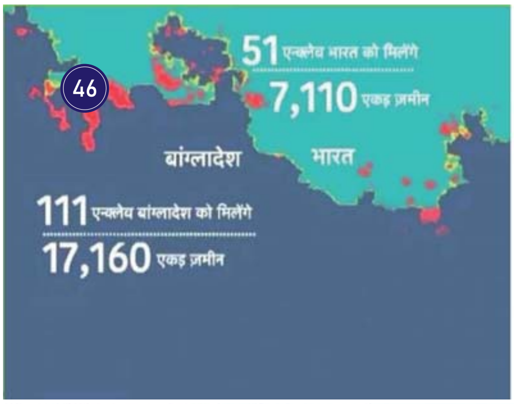

(iii) भारत के 111 Enclaves – 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को और बदले में 51 Enclaves 7,110 एकड़ जमीन भारत को प्राप्त, इसमें रहने वाले 51 हजार लोगों का उनकी इच्छा से दोनों देशों में पुनर्वास संभव

42

3. 2015 – भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

47

(iv) सीमा पर तस्करी रोकने तथा आतंकवाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सहमति

43

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता – 2015

48

(v) 'समुद्री सुरक्षा में सहयोग' पर सहमति

44

(i) 41 वर्ष से लंबित 'Land Border Agreement' पर जून, 2015 में हस्ताक्षर

49

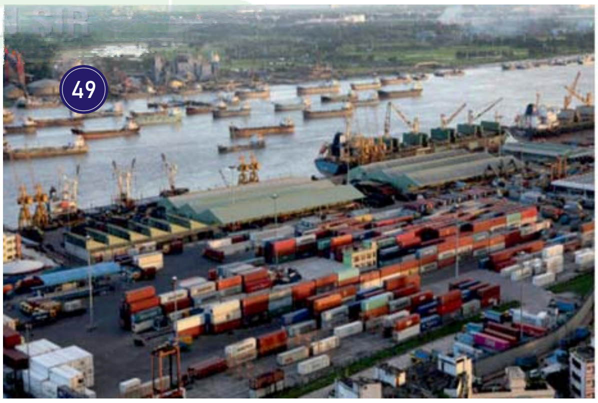

(vi) भारत को चटगाँव बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति

45

(ii) इस पर 5 राज्यों – पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के कुछ हिस्सों का बांग्लादेश के कुछ हिस्से से Exchange पर सहमति

50

(vii) भारत - बांग्लादेश को 2 अरब डॉलर की सहायता देगा

4. 29 जुलाई, 2016 – भारत - बांग्लादेश के गृह मंत्रियों का दिल्ली में बैठक एवं दो बातों पर सहमति–

(i) पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान

(ii) भारत - बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण हेतु 'ठोस सबूत' की शर्त को समाप्त किया जायेगा

(ii) सीमा पर सभी लंबित क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम पूरा करने पर सहमति

5. 8 अप्रैल, 2017 – शेख हसीना का भारत आगमन और 36 समझौतों पर हस्ताक्षर, जिसमें रक्षा समझौता भी शामिल

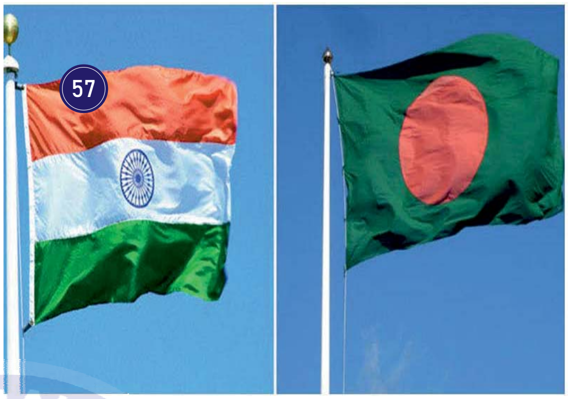

(iii) समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर

6. 6 सितम्बर 2017 – नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा और 11 समझौते पर हस्ताक्षर जिनमें निम्न प्रमुख–

- समुद्री सुरक्षा सहयोग
- व्हाइट शिपिंग सुचना को साझा करना
- तटीय निगरानी प्रणाली मुहैया करने हेतु तकनीकी समझौता

(iv) हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने पर बल

7. 17 दिसंबर 2020 – श्री नरेंद्र मोदी तथा शेख हसीना द्वारा वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन और कई मुद्दों पर सहमति, जिनमें सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा सहयोग भी शामिल; जैसे-

(v) आपदा प्रबंधन सहयोग के क्षेत्र में समझौता

(i) बांग्लादेश ने पद्मा नदी के साथ नदी मार्ग से 1.3 किमी. 'इनोसेंट पैसेज' के लिए अपना अनुरोध दोहराया और भारतीय पक्ष द्वारा अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन

(vi) सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को समाप्त करने पर बल

61

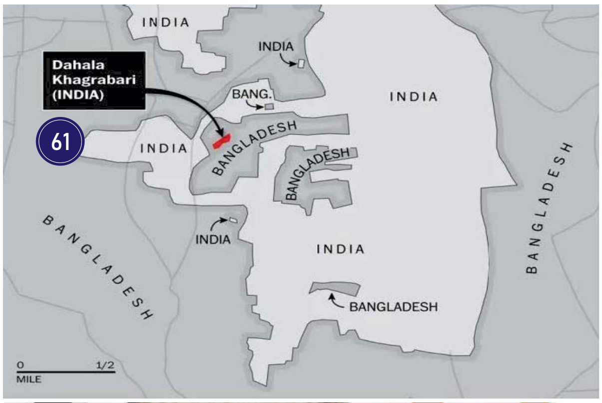

(vii) दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन को सरल बनाने पर जोर

62

8. 26 - 27 मार्च 2021– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की यात्रा (फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु का उद्घाटन)

63

9. 5-8 सितम्बर 2022– बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा और 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

64

10. 8 सितंबर 2023 – भारत एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक और तीन MOU पर हस्ताक्षर

65

9 दिसंबर 2024 - भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश दौरा

66

b. अन्य कूटनीतिक प्रयास

↓

67

(i) 1985 में 'असम समझौता' जिसमें बांग्लादेश घुसपैठियों को वापस भेजने एवं बांग्लादेश - असम सीमा सील करने पर सहमति और

↓

CAA में संशोधन

68

(ii) 1985 में अवैध प्रवासी अधिनियम [SC द्वारा निरस्त]

69

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

(iii) 2018 - NRC

70

(iv) 2019 - CAA

↓

11 मार्च 2024 से लागू

71

(v)

मई 2019 –

भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा जमात-उल-मुजाहिदीन पर प्रतिबंध

76

1. रोहिंग्या म्यान्मार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक बांग्लाभाषी सुन्नी इस्लामिक समुदाय है, जिनको म्यान्मार ने अवैध बांग्लादेशी घोषित करते हुये 1982 में नागरिकता देने से इंकार कर दिया

↓

रोहिंग्या मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध

↓

72

(vi)

मार्च 2022– भारत, बांग्लादेश और नेपाल द्वारा बांग्लादेश - भूटान - भारत - नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप

77

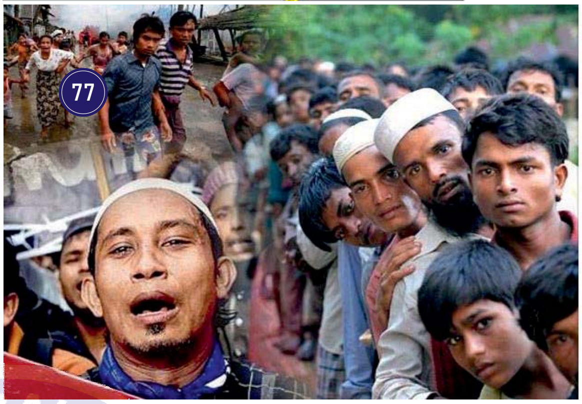

2. 10 जून, 2012– रोहिंग्या मुस्लिम एवं रखाईन बौद्ध में दंगा से रोहिंग्या समस्या प्रारंभ

(vii) बांग्लादेश में भारत के प्रयास से अमेरिका एवं जापान की उपस्थिति द्वारा चीन को तटस्थ करने का प्रयास

73

78

3. भारत में भी रोहिंग्याओं का अवैध घुसपैठ और वर्तमान में भारत में भी 14000 वैध एवं 40000 से अधिक अवैध रोहिंग्या शरणार्थी

74

रोहिंग्या समस्या

↓

79

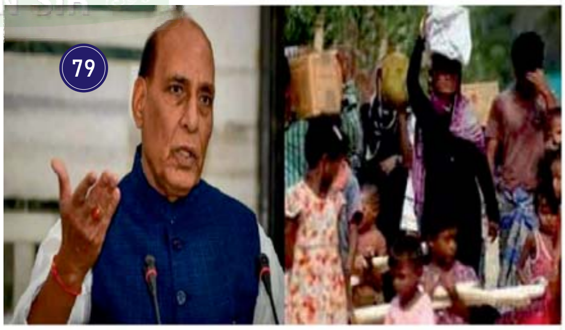

4. 31 जुलाई 2018 – भारत सरकार द्वारा अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने का निर्णय और संसद में राजनाथ सिंह का बयान – रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस म्यान्मार भेजा जायेगा

75

रोहिंग्या समस्या

↓

स्वरूप एवं प्रकृति

↓

5. भारत सरकार के इस निर्णय का UN द्वारा तथा भारत के राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा विरोध और कहा गया कि- यह UN Convention on Refugee 1951 का उल्लंघन एवं अनैतिक

80

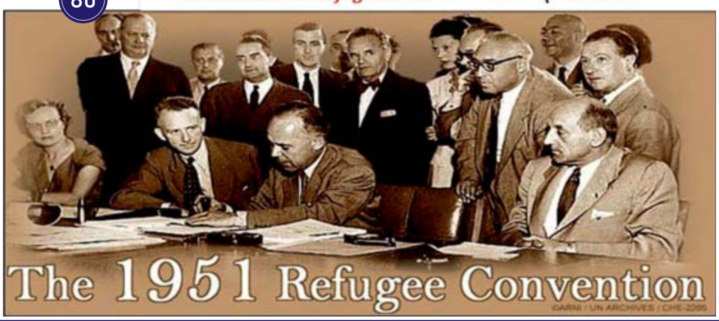

81
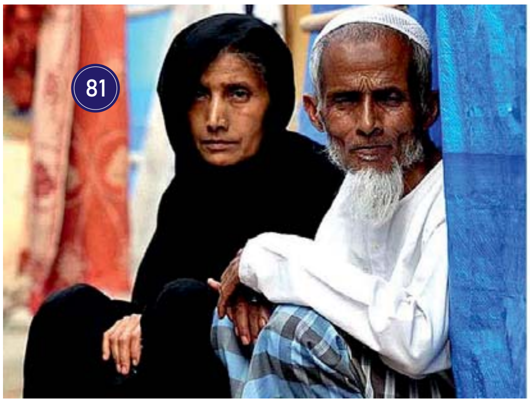

6. भारत का पक्ष

- अवैध रोहिंग्या से उत्पन्न समस्याएँ तथा भारत UN Convention पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है

82

7. 8 अप्रैल 2021– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी–

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेजा जा सकता है

83

सुरक्षा चुनौतियाँ

84

1. इनका 'लश्करे-ए-तैयबा' एवं ISI से संबंधों की 1B द्वारा पुष्टि

↓

इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा

85

2. भारत में आतंकवाद में वृद्धि का खतरा

[बोधगया बम विस्फोट]

86

3. भारतीय बौद्धों के खिलाफ हिंसा की संभावना

87

4. भारत में इनके द्वारा अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि

88

रोहिंग्या समस्या का समाधान एवं इनकी वापसी में बाधाएँ

89

1. इनका भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरा होना

90

2. भारतीय जनसंख्या के साथ इनकी नृजातीय समरूपता

फलत : भारतीय मुस्लिमों का इनके प्रति सहानुभूति एवं इनकी जबरन वापसी का विरोध

(12 सितम्बर, 2017 – कलकत्ता में 18 मुस्लिम संगठनों द्वारा रोहिंग्या के समर्थन में जूलुस जिसमें 35000 लोग शामिल)

91

3. भारतीय जनसंख्या में इनका सात्मीकरण

96

(i) 24 नवम्बर 2017– म्यांमार और बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की संभावित वापसी का रास्ता तैयार करने के समझौते पर हस्ताक्षर

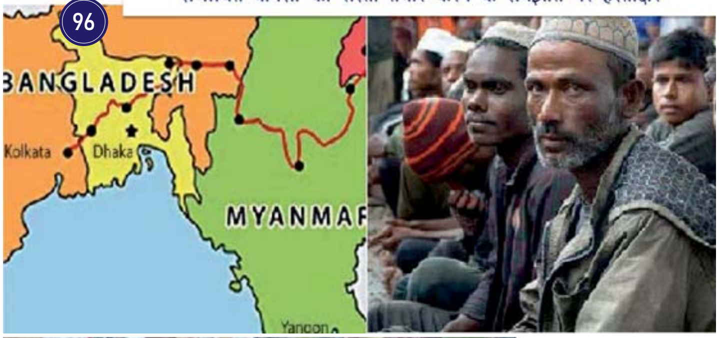

92

4. राजनीतिक सहमति का अभाव

97

(ii) 11 अक्टूबर 2021– संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश की सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों के मदद के लिए मिलकर काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया

93

5. रोहिंग्या के बारे में म्यान्मार एवं बांग्लादेश का नकारात्मक रवैया

98

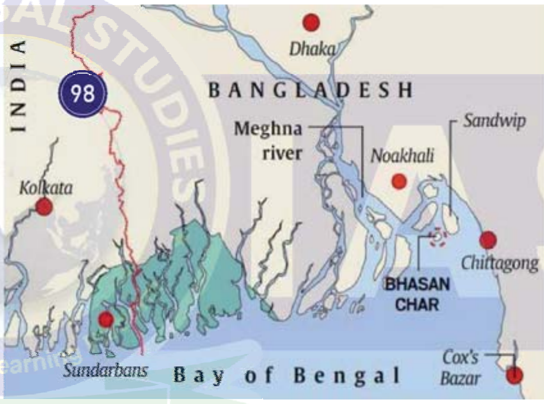

(iii) बांग्लादेश सरकार द्वारा 19 हजार से अधिक रोहिंग्या को भासन चार द्वीप (Bhasan Char Island) पर बसाने का निर्णय

94

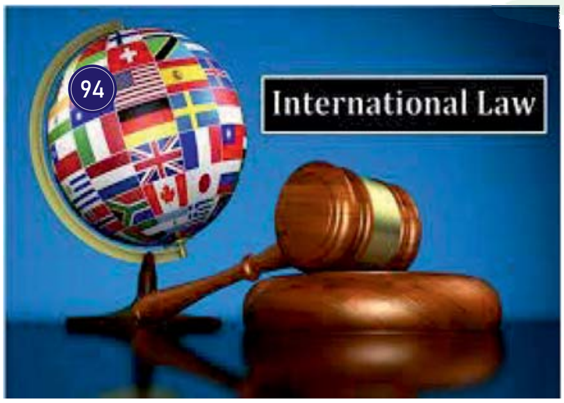

6. शरणार्थियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून

फलत : इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

फलत : भारत पर नैतिक दबाव

99

(iv) भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार के सरकार के साथ बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकालने का प्रयास जारी

95

रोहिंग्या समस्या के समाधान हेतु प्रयास

100

मार्च 2024 – रोहिंग्या का पहला खेप वापस म्यान्मार भेजा गया

101

समीक्षा एवं सुझाव

102

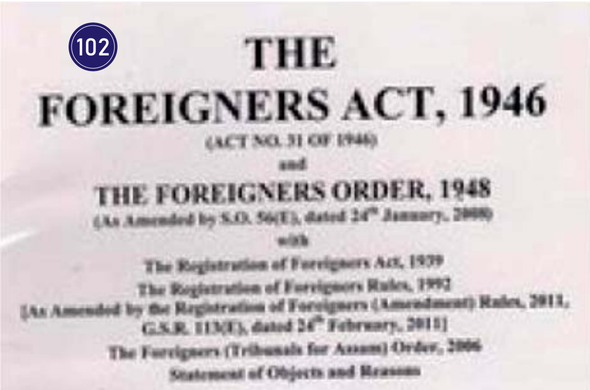
THE
FOREIGNERS ACT, 1946
(ACT NO. 31 OF 1946)
and
THE FOREIGNERS ORDER, 1948
(As Amended by S.O. 56(E), dated 24th January, 2008)
with
The Registration of Foreigners Act, 1939
The Registration of Foreigners Rules, 1992
[As Amended by the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 2011, G.S.R. 113(E), dated 24th February, 2011]
The Foreigners (Tribunals for Assam) Order, 2006
Statement of Objects and Reasons

1. वैधानिक रूप से भारत का यह निर्णय सही है (विदेशी विषयक अधिनियम, 1946)

103

2. भारत के आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भी यह कदम सही है

104

3. राष्ट्रवादी विचारधारा भी इसकी अनुमति प्रदान करता है

105

4. शरणार्थी पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन नहीं क्योंकि भारत UN Convention on Refugees पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है

106

5. परन्तु..... मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से यह कदम विवाद एवं बहस का विषय

107

सुझाव

108

1. भारत द्वारा म्यान्मार को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजी कराया जाय

109

2. भारत द्वारा UN को साथ लेते हुए भारत में रह रहे रोहिंग्याओं को कुछ निश्चित स्थान पर संरक्षित रखा जाय– तब तक जब तक उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाती है।

110

3. UN एवं म्यान्मार के सहयोग से म्यान्मार में रोहिंग्याओं की स्थिति में सुधार एवं सेना द्वारा होने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास किया जाय

111

बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या

112

समस्या का स्वरूप

113

1. 1971 के बाद लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत आये जिसमें 30 लाख केवल असम में

114

2. 'भारत रक्षा मंच' (NGO) के अनुसार लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिये भारत में

115

3. 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की 24% आबादी एवं असम में कई जगह मूल निवासी अल्पसंख्यक

(i) असम में मुस्लिम आबादी : 1991 – 25.42%, 2001 में– 30.92%, 2011– 34.22%

(ii) असम के कुल 27 जिलों में से 11 मुस्लिम बहुल

116

समस्या / सुरक्षा चुनौतियाँ

117

1. भारत में नृजातीय संघर्ष एवं अलगाववाद की समस्या (बोडो क्षेत्र तथा मणिपुर में)

118

2. भारत में सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिक हिंसा की समस्या

119

3. आतंकवाद की समस्या

120

(i) 1992 – HUJI के बांग्लादेश ईकाई का गठन

121

(ii) 2 अक्टूबर 2014– बर्दवान विस्फोट कांड – आंतकी शकील अहमद बांग्लादेश के 'जमात-उल-मुजाहिदीन' (JMB) का सदस्य

Jamaat-ul-mujahideen Bangladesh (JMB)

122

4. अपराध एवं गैर-कानूनी गतिविधियों की समस्या (Delhi की Crime Branch एवं IB की रिपोर्ट – Delhi में लगभग – 9 लाख अवैध बांग्लादेशी विद्यमान)

123

5. सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार की समस्या

BSF

124

समाधान हेतु प्रयास

125

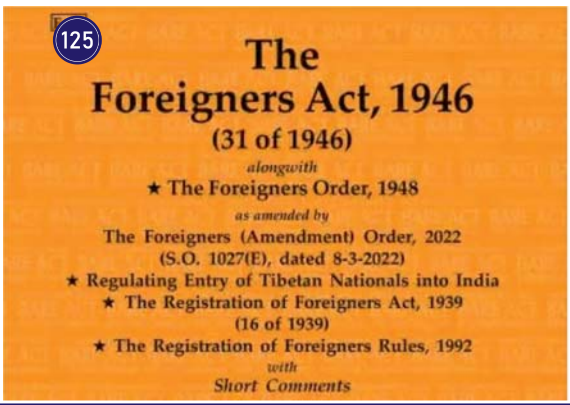

The Foreigners Act, 1946
(31 of 1946)
alongwith
★ The Foreigners Order, 1948
as amended by
The Foreigners (Amendment) Order, 2022
(S.O. 1027(E), dated 8-3-2022)
★ Regulating Entry of Tibetan Nationals into India
★ The Registration of Foreigners Act, 1939
(16 of 1939)
★ The Registration of Foreigners Rules, 1992
with
Short Comments

1. विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act - 1946)

126

2. अवैध प्रवासी अधिनियम, 1985 (Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act-1985)

[SC द्वारा 2005 में निरस्त]

(BJP सांसद सर्वानंद सोनोवाल के याचिका पर)

127

3. जून, 2011 में 'भारत – बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता'

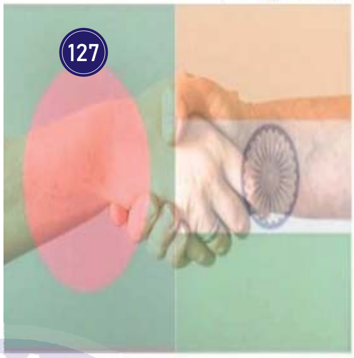

128

4. जून, 2015 में 'भारत – बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता'

129

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

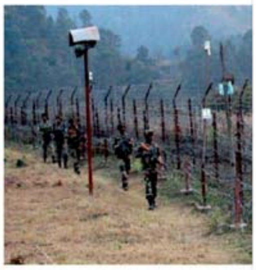

5. 16 दिसम्बर, 2014 में SC द्वारा केंद्र सरकार को 3 दिनों के अंदर भारत – बांग्लादेश सीमा पर बाड़ तथा तेज रोशनी वाली लाइटें लगाने का निर्देश व देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी के लोगों की वापसी सुनिश्चित करने एवं अवैध घुसपैठ को रोकने का निर्देश एवं साथ ही 'नागरिकता अधिनियम' के Section-6 पर पुनर्विचार हेतु सुझाव

फलतः NRC के नवीकरण का कार्य प्रारंभ

130

समस्या समाधान के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

1. सीमा सुरक्षा प्रबंधन में कमियाँ

131

6. शरणार्थियों हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय कानून'

136

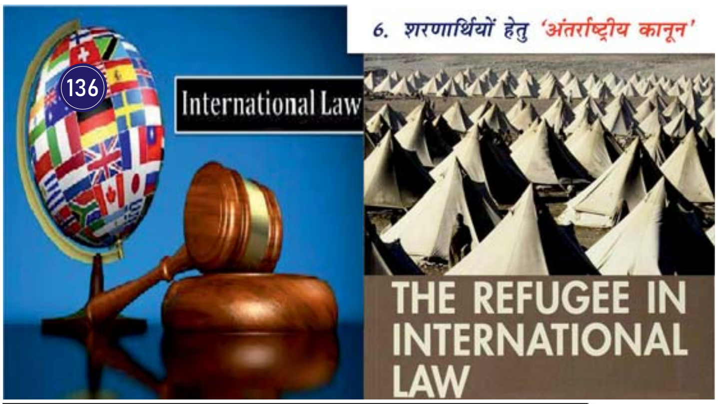

2. Enclaves तथा 3 बीघा गलियारा (अब समाप्त)

132

(i) UN की 1948 की मानवाधिकार संबंधी घोषणापत्र

137

3. अवैध बांग्लादेशियों का भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरा होना तथा भारतीय जनसंख्या के साथ सात्मीकरण

133

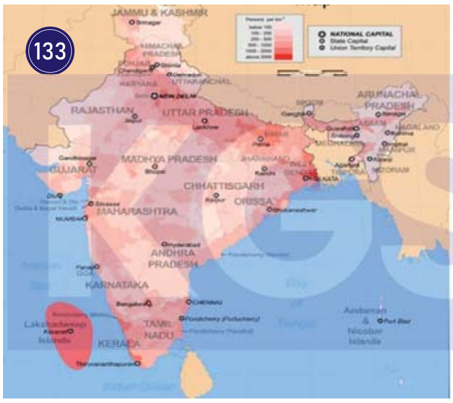

(ii) 1950 में शरणार्थियों के लिये UN उच्च आयोग

138

4. नृजातीय समरूपता

134

(iii) 1951 — UN Refugees Convention

(भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं)

139

5. Vote-bank की राजनीति एवं सरकारी उदासीनता – (ममता बनर्जी, कांग्रेस आदि)

135

Note : असम में प्रचलित कहावत - "जब ढाका में कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसका पंजीकरण बरपेटा (असम) में करवा दिया जाता है"

140

141

निष्कर्ष एवं सुझाव

146

Note : 8 मार्च, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा पर बाड़ लगाने हेतु कोष जारी रखने का निर्देश दिया - जिसकी प्रगति की समीक्षा *'मधुकर गुप्ता समिति'* करेगी

142

1. *'सीमा सुरक्षा प्रबंधन'* एवं *'मजबूत बाड़बंदी'* से नये घुसपैठ को रोका जाये

147

National Register of Citizens (NRC)

143

2. मजबूत *'पहचान पत्र'* एवं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर *(NRC)* का नवीकरण किया जाये

148

NRC का अर्थ

144

3. अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके एवं बांग्लादेश की सरकार से बात करके उनकी वापसी की *प्रक्रिया को तीव्र* किया जाये

149

1. *NRC* – राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर *(National Register of Citizens)* एक ऐसा रजिस्टर है, जिसमें सभी वैध भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होता है

145

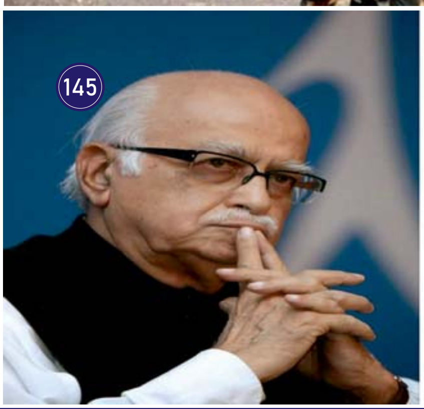

4. प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के थानों में *'अवैध बांग्लादेशी प्रकोष्ठ' (Cell)* का निर्माण किया जाये [SC] तथा *'Work Permit'* देकर उनको संपूर्ण भारत में समायोजित किया जाये

[2001 में राजग सरकार में *लालकृष्ण आडवाणी* की अध्यक्षता वाली *'राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार'* से संबंधित मंत्रियों के समूह का सुझाव]

150

2. इसे पहली बार भारत की जनगणना के बाद *1951* में तैयार किया गया

151

3. असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है

152

असम में NRC निर्माण प्रारंभ

153

1. 16 दिसम्बर, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NRC निर्माण प्रारंभ

154

2. 31 दिसम्बर, 2017

- NRC की प्रथम सूची जारी – 1.90 करोड़ लोगों के नाम

155

3. 30 जुलाई, 2018

NRC का असम में अंतिम मसौदा जारी - 40 लाख से अधिक अवैध प्रवासी

Total Population ⇒ 3.39 करोड़ - 3.29 करोड़ आवेदन

Eligible Population for Citizen ⇒ 2.89 करोड़

केन्द्र सरकार का बयान ⇒ यह सूची अंतिम सूची नहीं है

156

4. NRC हेतु अर्हता :

- जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के NRC में या 24 मार्च, 1971 तक के वोटर लिस्ट में हो
- 12 अन्य Certificate

157

5. 19 सितम्बर, 2018

- सुप्रीम कोर्ट ने NRC से बाहर रहने वालों को 25 सितम्बर से दूसरा मौका देने का निर्देश दिया
- 25 नवम्बर, 2018 दावा की अंतिम तिथि
- 15 दिसम्बर, 2018 से सुनवाई, इसके बाद अंतिम NRC जारी

158

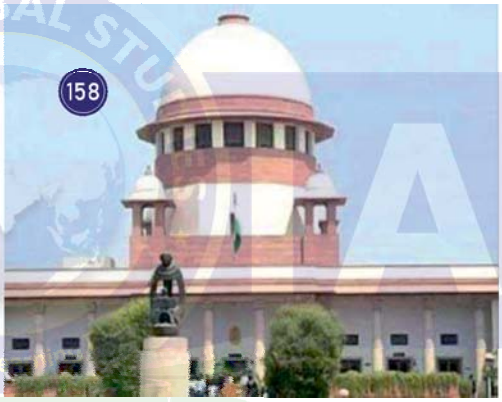

6. 24 जनवरी, 2019 –

NRC की फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन को सितम्बर, 2019 तक बढ़ाने की माँग

सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया और कहा कि– 31 जुलाई, 2019 तक यह पूरी हो जानी चाहिये

159

7. 31 अगस्त, 2019 – NRC की अंतिम सूची जारी -

- 3,11,21,004 नाम शामिल और 0,19,06,657 नाम बाहर
- जिनके नाम सूची में शामिल नहीं है वो 120 दिनों के भीतर Foreign Tribunal में अपील कर सकेंगे तथा FT के निर्णय से असंतुष्ट होने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प

160

8. 20 नवम्बर, 2019–

भारतीय गृहमंत्री का राज्यसभा में बयान कि– अवैध लोगों की पहचान के लिये पूरे देश में NRC लागू किया जायेगा - तब असम में भी प्रत्येक तहसील में Tribunal की स्थापना होगी और जिनका नाम NRC में शामिल नहीं है वो पुन: Tribunal के पास जा सकेंगे

161

निष्कर्ष / सुझाव

166

भारतीय नागरिकता

1. नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत की नागरिकता प्रदान करने की अर्हता एवं अवैध प्रवासी की परिभाषा को सुनिश्चित करता है

162

1. वैश्विक आतंकवाद की समस्या तथा अवैध घुसपैठ की समस्या को देखते हुये NRC लागू करना सही कदम (सुप्रीम कोर्ट)

167

2. इसके अनुसार..... वह अवैध प्रवासी है; जो-

(a) वो विदेशी जो बिना वैध पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज के भारत आया है

(b) वो विदेशी जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रूका हुआ है

163

2. परंतु ..... यह कार्य साम्प्रदायिकता एवं राजनीतिकरण से बचकर किया जाना चाहिये

168

3. 1985, 1992, 2003 एवं 2015 में इसमें संशोधन किया गया

164

3. इसके लिये आवश्यक है कि..... इस पर जनमत निर्माण के साथ-साथ दलों की सहमति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाय

169

4. 1985 के संशोधन में 24 मार्च 1971 तक असम में आये लोगों को नागरिकता का प्रावधान

165

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019

Citizenship (Amendment) Act - 2019

170

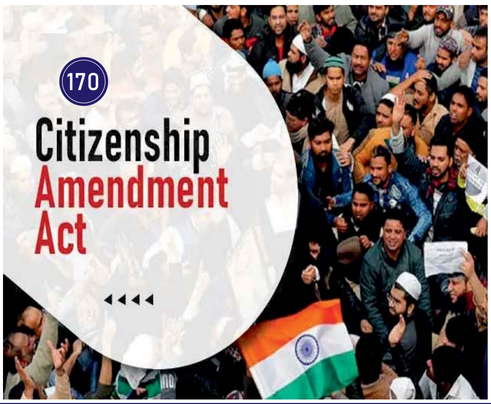

5. पुनः 11 दिसम्बर 2019 को भारत सरकार द्वारा इसमें संशोधन करते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित

↓

10 जनवरी 2020 से लागू

↓

11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी

171

6. इस अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन - जिसके निम्न प्रमुख प्रावधान–

172

(a) अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव और 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आये हिन्दू, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन तथा पारसी को अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा

173

(b) 31 दिसम्बर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन तथा पारसी को भारत की नागरिकता का प्रावधान

[यदि वो भारत में 6 साल गुजार लेते हैं तो (पहले यह अवधि 11 साल थी)]

174

(c) इन देशों से आने वाले मुस्लिमों को यह सुविधा नहीं और उन्हें अवैध घुसपैठियाँ मानते हुये उनको हिरासत में रखने या वापस भेजने का प्रावधान

175

भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन

(d) अनुसूची-3 में संशोधन और नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में रहने की 11 वर्ष की शर्त को 6 वर्ष घटाया गया

आरोप-1 : धर्म के आधार पर नागरिकता देने से अनुच्छेद-14 का उल्लंघन का आरोप

176

CAA - 2019 का पूरे भारत में विरोध और दिल्ली में दंगा जिसमें 53 लोगों की मौत

177

CAA के विरोध में तर्क

178

- इस संशोधित अधिनियम के द्वारा धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
- यह संशोधित अधिनियम सांप्रदायिकता के मानसिकता से ग्रसित और मुस्लिम विरोधी – फलतः भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि और सामुदायिकता सौहार्द्रता कमजोर
- यह संशोधित अधिनियम असम समझौता 1985 के विपरीत

179

- यह संशोधित अधिनियम, 16 दिसम्बर 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के निर्देशों के विपरीत
- इसके द्वारा NRC से बाहर रह गए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में पुनः समायोजित करने का प्रयास जो असम के लोगों के हितों के विपरीत

180

CAA के पक्ष में तर्क

181
- CAA - 2019 का NRC से कोई संबंध नहीं है और दोनों अलग-अलग संदर्भ में लिया गया निर्णय है
- यह संशोधित अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान केवल भारत के नागरिकों के लिए है

182
- यह CAA - 2019 भारत सरकार द्वारा, UN Convention on Refugees, 1951 के अनुरूप मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय है जो उपरोक्त तीनों देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को शरणार्थी मानते हुए उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है

183
- उपरोक्त तीनों देशों के मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तीनों देश इस्लामिक देश हैं जहाँ मुस्लिम धर्म के आधार पर प्रताड़ित समुदाय नहीं है
- केवल उपरोक्त तीनों देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का निर्णय औचित्यपूर्ण है क्योंकि उपरोक्त तीनों देशों में रहने वाले गैर-मुस्लिम समुदाय के लोग ब्रिटिश भारत के नागरिक रहे हैं

184
सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतिया एवं प्रबंधन

संभावित प्रश्न

185
- सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार सीमा प्रबंधन से किस प्रकार संबद्ध है? भारत-म्यान्मार सीमा के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
- भारत-बांग्लादेश से लगी 4096 किमी. लम्बी सीमा अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक बड़ी सीमा है। इस सीमा पर उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ और इससे निपटने हेतु भारतीय प्रयासों की चर्चा कीजिए।

186
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासन भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसे रोकने हेतु भारतीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए एवं इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा के विशेष संदर्भ में 'भारत-बांग्लादेश सड़क सीमा समझौता' पर टिप्पणी कीजिए।

187
- उत्तर-पूर्व के राज्यों में अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु भारत से लगी बांग्लादेश एवं म्यान्मार सीमा का प्रबंधन कहाँ तक उपयोगी हो सकता है? हाल के कुछ उदाहरणों के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
- 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' क्या है? सीमा सुरक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

188
- भारत-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र में विद्यमान सुरक्षा चुनौतियाँ एवं प्रबंधन व्यवस्था पर चर्चा कीजिए।
- हाल के वर्षों में म्यांमार में हो रहे गृहयुद्ध ने भारत म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न किया है? इस संदर्भ में सीमा सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

189
- उत्तर-पूर्व भारत में उग्रवाद एवं पृथकतावाद की समस्या के समाधान में भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन तथा भारत-बांग्लादेश सीमा प्रबंधन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।
- हाल में बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना और अतिवाद में वृद्धि भारत के लिये सुरक्षा चिंता का विषय है। इस चिंता के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कीजिए और इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइये।

KGS IAS KHAN SIR Most Trusted Learning Platform